

भारत का उच्चतम न्यायालय
आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या --- वर्ष 2024

(विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 10587/2023 से उद्धृत)

अयूब खान
...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य
...प्रतिवादी

निर्णय

न्यायमूर्ति अभय एस. ओका

1- याचिका स्वीकृत की गयी।

तथ्यात्मक आयाम

2- अपीलकर्ता राजस्थान न्यायिक सेवा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश है। अपीलार्थी की वर्ष 1993 में न्यायिक सेवा में नियुक्ति हुई। अपीलकर्ता द्वारा पेश वर्तमान अपील उसके विरुद्ध किये गए आक्षेपित आदेश में की गई टिप्पणियों को खारिज करने तथा उसके विरुद्ध जारी किए गए प्रतिकूल निर्देशों को रद्द करने के सीमित उद्देश्यों के लिए दायर की गयी है। अपीलकर्ता ने एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर फैसला सुनाया, जिस आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, 'आईपीसी') की धारा 307 के साथ धारा 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 3, 3/25 और 5/25 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था। अपीलकर्ता ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसलिए आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। जमानत अर्जी पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के तहत आरोपी को जमानत दे दी गई है। जमानत देते समय उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं। कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, जो अपीलकर्ता को प्रभावित करते हैं।

3. जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य के मामले में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालयों को निर्देश जारी किए, जिन्हें जमानत आवेदनों पर फैसला करते समय लागू किया जाना था। ये निर्देश उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9, 10 और 11 में दिए गए हैं। पैराग्राफ संख्या 9 से 11 इस प्रकार हैं -

9- इस प्रकार, यह न्यायालय निर्देश देता है कि सभी विद्वान विचारण न्यायालय किसी भी आरोपी व्यक्ति की नियमित/अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार या अस्वीकार करते समय, यदि कोई हो तो, उसके पूर्ववृत्त का पूरा विवरण देंगे और यह भी दर्ज करेंगे कि आरोपी व्यक्ति का कोई पूर्ववृत्त नहीं है। यदि आरोपी का पूर्ववृत्त है, तो पूर्ववृत्त का पूरा विवरण यानी एफआईआर संख्या और केस संख्या, धाराएं, तारीखें, स्थिति और किसी भी पूर्व अवसर पर गिरफ्तारी और रिहाई की तारीख, यदि कोई हो, चार्ट फॉर्म में तैयार की जाएगी और जमानत याचिका को स्वीकार या खारिज करते समय विद्वान विचारण न्यायालय के आदेश में शामिल की जाएगी।

10- यह आदेश इस न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा राज्य के सभी विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को प्रेषित किया जाएगा, जो जमानत आवेदनों की सुनवाई कर रहे सभी न्यायिक अधिकारियों और अपने-अपने क्षेत्राधिकार में आने वाली सभी अदालतों में इस आदेश का तत्काल क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। ट्रायल कोर्ट के आदेश में दिए गए पूर्वोक्त प्रारूप में विस्तृत पूर्ववृत्त रिपोर्ट राजस्थान राज्य में किसी भी जमानत आवेदन के निपटान के लिए आवश्यक होगी। यह भी निर्देश दिया गया है कि राज्य भर के विद्वान लोक अभियोजक प्रत्येक जमानत मामले में अग्रिम रूप से पूर्ववृत्त रिपोर्ट मंगवाएंगे, ताकि अदालतों को अभियुक्त के पिछले आपराधिक इतिहास के बारे में निश्चित और सही जानकारी मिल सके। इस आदेश की प्रमाणित प्रति रजिस्ट्री द्वारा राज्य के अभियोजन विभाग के निदेशक को भी आवश्यक अनुपालन हेतु राजस्थान राज्य भर के विद्वान लोक अभियोजकों के बीच भेजी जाएगी।

11- इस माननीय न्यायालय की रजिस्ट्री इस आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा 05.01.2021 से पूर्व इस न्यायालय के समक्ष अनुपालन प्रस्तुत करेगी।

4. दिनांक 20 दिसंबर 2022 के आदेश द्वारा जमानत आवेदन को खारिज करते समय, अपीलकर्ता ने ऊपर उद्धृत पैराग्राफ 9 में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्धारित सारणीबद्ध रूप में अभियुक्त के पूर्ववृत्त का विवरण अपने आदेश में शामिल नहीं किया। उन्होंने आदेश में केवल इतना उल्लेख किया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में 10 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसलिए, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 4 अप्रैल 2023 को एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि चूंकि जुगल किशोर के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का अपीलकर्ता द्वारा अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए यह न केवल अनुशासनहीनता है बल्कि अवमानना मानी जा सकती है। इसलिए, विद्वान न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि उक्त आदेश की एक प्रति अपीलकर्ता को भेजी जाए और उसका स्पष्टीकरण पांच दिनों के भीतर मांगा जाए। तदनुसार, अपीलकर्ता ने 6 अप्रैल 2023 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि निर्णय के पैराग्राफ 9 में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। अपीलकर्ता ने कहा कि यह चूक अत्यधिक कार्य दबाव के कारण हुई है। उन्होंने उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया कि वह उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। 5. मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। अपीलकर्ता द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के बाद भी, राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 25 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह फरवरी 2023 के दौरान निपटाए गए कुल जमानत आवेदनों की सूची भेजे तथा आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करें। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया, जिसमें यह बताया गया हो कि अपीलकर्ता द्वारा आदेशों को पारित करते समय उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया था या नहीं। अपीलकर्ता ने 3 मई 2023 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निर्देशों का पालन किया। उसके बाद 5 मई 2023 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया। आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ संख्या 9 में, राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की -“9- सत्र न्यायाधीश द्वारा स्वयं इस न्यायालय के न्यायिक एवं प्रशासनिक आदेशों की पालना न किया जाना गम्भीर मामला था, जिस पर दिनांक 04.04.2023 को न्यायिक आदेश पारित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश दिया गया, जिसके अनुपालन में दिनांक 06.04.23 को अपने पत्र में उल्लेख किया कि 20.12.2022 को शीतकालीन अवकाश शुरू होने वाले थे तथा कार्य की अधिकता के कारण अभियुक्तगण के विरुद्ध लम्बित आपराधिक प्रकरणों का विवरण निर्धारित प्रारूप में अंकित नहीं किया जा सका तथा यह भी उल्लेख किया गया कि "सभी जमानतों के निस्तारण में माननीय न्यायालय के आदेशों में अभियुक्तगण के विरुद्ध लम्बित प्रकरणों की सूची जुगल किशोर बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार ही अंकित की जाती है।”

6. पैराग्राफ 10 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने 25 अप्रैल 2023 के आदेश के अनुसरण में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का उल्लेख किया। यह अवलोकित किया गया

कि अपीलकर्ता द्वारा फरवरी 2023 में पारित जमानत आदेशों में भी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था। आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ 11 और 12 इस प्रकार हैं: -

"11- उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सत्र न्यायाधीश जैसे महत्वपूर्ण पद पर होने के बावजूद संबंधित पीठासीन अधिकारी ने इस न्यायालय के न्यायिक या प्रशासनिक निर्देशों का पालन नहीं किया तथा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग विरोधाभासी एवं विपरीत तर्क दिए। इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है तथा इस कारण न्यायालय का न्यायिक समय अनावश्यक रूप से बर्बाद हुआ है। उपरोक्त परिस्थितियों में यह मामला न्यायिक निर्देशों की अवहेलना एवं न्यायिक अनुशासनहीनता से संबंधित है, इसलिए यह गंभीर मामला है तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए इस तथ्य को माननीय मुख्य न्यायाधीश के संज्ञान में लाना आवश्यक है।

12- इसलिए, इस आदेश के पैरा संख्या 08 और 11 में व्यक्त राय और निर्देशों के अनुसार, इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को तत्काल इस आदेश की एक प्रति प्रासंगिक दस्तावेजों और स्पष्टीकरणों के साथ माननीय मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है।"

(जोर दिया गया)

प्रस्तुतियाँ

7. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारा ध्यान राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एस.बी. आपराधिक विविध अंतरिम जमानत आवेदन संख्या 6821/2021 (गगनदीप @ गोल्डी बनाम राजस्थान राज्य) में पारित दिनांक 18 जून 2021 के निर्णय एवं आदेश की ओर आकर्षित किया। उक्त आदेश के पैरा क्रमांक 13 में विद्वान एकल न्यायाधीश ने समान निर्देश अधिक विस्तार के साथ जारी किए, जो जुगल किशोर के मामले में उस निर्णय के पैरा क्रमांक 9 में जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस न्यायालय के 20 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा जो एसएलपी (सीआरएल) संख्या 11675-11676 वर्ष 2022 से उत्पन्न आपराधिक अपील में पारित है, जिसके द्वारा 18 जून 2021 के आदेश के पैराग्राफ संख्या 13 से 18 को मिटाने का निर्देश जारी किया गया था। इस न्यायालय के दिनांक 20 फरवरी 2023 के आदेश के बावजूद, उच्च न्यायालय ने जुगल किशोर के मामले में जारी निर्देशों के अनुपालन पर जोर देकर अवैधता कारित की। उन्होंने अभिकथित किया कि उच्च न्यायालय को वस्तुतः यह निर्देश जारी नहीं करना चाहिए था कि प्रत्येक जमानत आवेदन पर निर्णय करते समय विचारण न्यायालय द्वारा किस प्रकार आदेश पारित किए जाने चाहिए तथा यह निर्देश नहीं देना चाहिए था कि अभियुक्त के पूर्ववृत्त को एक सारणीबद्ध प्रारूप में आदेश में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने अभिकथित किया कि उच्च न्यायालय सत्र न्यायाधीशों को किसी विशेष प्रारूप में अभियुक्त के पूर्ववृत्त के बारे में जानकारी शामिल कर आदेश पारित करने का निर्देश देकर सत्र न्यायाधीशों के न्यायिक विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। उन्होंने दलील दी कि जहां तक अपीलकर्ता के खिलाफ पारित की गई टिप्पणियों का सवाल

हैं, इस न्यायालय द्वारा **सोनू अग्निहोत्री बनाम चंद्र शेखर और अन्य** के मामले में कानून निर्धारित किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित की गई अवांछित टिप्पणियाँ अपीलकर्ता के न्यायिक करियर पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने न्यायालय की सहायता की है।

प्रस्तुतियों पर विचार

8. हमने पहले ही **जुगल किशोर** के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया है। जारी किए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है –

- i. ट्रायल कोर्ट को किसी भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकृत करते समय, आदेश में अभियुक्त के पूर्ववृत्त का पूरा विवरण, यदि कोई हो, शामिल करना होगा;
- ii. यदि कोई पूर्ववृत्त नहीं है तो ट्रायल कोर्ट यह दर्ज करेगा कि कोई पूर्ववृत्त नहीं है; और
- iii. यदि पूर्ववृत्त मौजूद है, तो उसे निर्णय में उल्लिखित विवरण सहित सारणीबद्ध रूप में शामिल किया जाएगा।

9. जमानत आवेदन पर निर्णय लेते समय पालन किए जाने वाले सिद्धांत सुस्थापित हैं। यदि विचारण न्यायालय जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय गलतियाँ करते हैं, तो उन्हें न्यायिक तरीके से ऐसे न्यायालय द्वारा हमेशा ठीक किया जा सकता है, जो न्यायिक पदानुक्रम में उच्चतर हैं। संवैधानिक न्यायालय जमानत या अग्रिम जमानत देने के लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं। हालाँकि, संवैधानिक न्यायालय जमानत आवेदनों पर निर्णय लेते समय आदेश पारित करने के प्रारूप को निर्धारित करके हमारे विचारण न्यायालय के विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। **जुगल किशोर** के मामले में उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 9 में जो किया है, वह यह है कि उसने विचारण न्यायालय के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह जमानत के लिए आवेदन करने वाले अभियुक्त के पूर्ववृत्त का विवरण युक्त एक चार्ट शामिल करे।

10. अभियुक्त के पूर्ववृत्त की उपस्थिति उसके द्वारा की गई जमानत की प्रार्थना पर निर्णय लेने के लिए कई विचारों में से केवल एक है। किसी मामले में, यदि अभियुक्त प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाता है, तो तथ्यात्मक स्थिति और कारावास की अवधि के आधार पर, पूर्ववृत्त की उपस्थिति जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है। ऐसा मामला भी हो सकता है जहां न्यायालय केवल लंबी कैद के आधार पर ही

जमानत दे सकता है। ऐसे मामले में पूर्ववृत्त की उपस्थिति सुसंगत नहीं हो सकती है। किसी मामले में, न्यायालय डिफॉल्ट जमानत दे सकता है। पुनः ऐसे मामले में अभियुक्त का पूर्ववृत्त असंगत है। इस प्रकार, विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, न्यायालय पूर्ववृत्त के अस्तित्व के बावजूद जमानत दे सकता है। ऐसे मामलों में, पूर्ववृत्त के विवरण को सारणीबद्ध रूप में शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि **जुगल किशोर** के मामले में दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन किया जाता है, तो न्यायालय को जमानत आवेदनों की सुनवाई स्थगित करनी पड़ सकती है ताकि अभियोजक निर्धारित सारणीबद्ध प्रारूप में विवरण प्रस्तुत कर सकें। 11. जब अभियोजन पक्ष अभियुक्त के पूर्ववृत्त को दर्शाने वाली सामग्री रिकॉर्ड पर रखता है और यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामले के तथ्यों और पूर्ववृत्त की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्त को पूर्ववृत्त के आधार पर जमानत देने से इनकार किया जाना चाहिए तो न्यायालय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह **जुगल किशोर** के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 9 के अनुसार पूर्ववृत्त के सभी विवरणों को शामिल करे। न्यायालय केवल उन दंडात्मक प्रावधानों का हवाला देकर अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज अपराधों की प्रकृति का उल्लेख कर सकता है जिनके तहत अभियुक्त पर आरोप लगाया गया है। 12. किसी मामले में, यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय जमानत आवेदन पर निर्णय करते समय पैराग्राफ 9 में निर्देशित चार्ट को शामिल कर सकता है। हालाँकि, यदि उच्च न्यायालय यह निर्देश देता है कि प्रत्येक जमानत आदेश में एक चार्ट को एक विशेष प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए तो यह विचारण न्यायालय को दिए गए विवेकाधिकार में हस्तक्षेप होगा। इसलिए, हमारे विचार में **जुगल किशोर** के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 9 में जो कहा गया है, उसे हमारे आपराधिक न्यायालयों के लिए आज्ञापक निर्देश के रूप में नहीं समझा जा सकता है। अधिकाधिक इसे एक सुझाव के रूप में लिया जा सकता है जिसे हर मामले में लागू करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी संवैधानिक न्यायालय विचारण न्यायालय को जमानत आवेदनों पर किसी विशेष तरीके से आदेश लिखने का निर्देश नहीं दे सकता। संवैधानिक न्यायालय के एक न्यायाधीश का यह विचार हो सकता है कि ट्रायल कोर्ट को एक विशेष प्रारूप का उपयोग करना चाहिए। संवैधानिक न्यायालय के दूसरे न्यायाधीश का यह विचार हो सकता है कि कोई अन्य प्रारूप बेहतर है।

13. मामला यहीं समाप्त नहीं होता। जिस जमानत याचिका में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है, उसी में पारित आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2023 के आदेश में यह पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा पैराग्राफ 9 में जारी निर्देशों की अवहेलना की गई है। उच्च न्यायालय ने यहां तक कहा कि **जुगल किशोर** के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 9 में निहित निर्देशों की अवहेलना न केवल अनुशासनहीनता है, बल्कि यह एक गंभीर मामला है जो अवमानना के दायरे में आ सकता है। इसलिए अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया। हम यह समझने में विफल रहे कि अपीलकर्ता ने अनुच्छेद 9 में शामिल सुझाव का पालन न करके अनुशासनहीनता या अवमानना का कार्य कैसे किया। दूसरी ओर, यह मान भी ले कि अपीलकर्ता अनुशासनहीनता का दोषी था, न्यायिक तौर पर देखते हुए उच्च न्यायालय को न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश पारित नहीं करना चाहिए था। न्यायिक आदेश द्वारा न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश अनुचित था।

न्यायिक अधिकारी से स्पष्टीकरण केवल प्रशासनिक पक्ष से ही मांगा जा सकता है। उच्च न्यायालय ने मामले को आगे बढ़ाया। 25 अप्रैल 2023 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह फरवरी 2023 में निपटाए गए कुल जमानत आवेदनों की सूची भेजे, साथ ही उसके द्वारा पारित आदेशों की प्रतियां भी भेजे। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि वे इस बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या **जुगल किशोर** के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन किया गया था। अपीलकर्ता को जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसके पास जवाब प्रस्तुत करके माफ़ी मांगने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं बचा। उच्च न्यायालय के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, जिसमें बहुत अधिक मामले लंबित हैं, इस तरह की कार्यवाही करना उच्च न्यायालय के बहुमूल्य न्यायिक समय की बर्बादी थी।

14. एक ऐसे मामले में जमानत याचिका पर फैसला करते समय उच्च न्यायालय ने जो किया, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा सत्र न्यायाधीश के रूप में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था, वह पूरी तरह से अनुचित था। **जुगल किशोर** के मामले में निर्देश जारी करने से लेकर 4 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 के आदेश तथा आक्षेपित आदेश जिसके तहत उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता की गलती पाई, वह न केवल अनुचित था बल्कि अवैध भी था।¹⁵ जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एस.बी. आपराधिक विविध अंतरिम जमानत आवेदन संख्या 6821/2021 में दिनांक 18 जून 2021 के निर्णय और आदेश में पैराग्राफ 13 से 16 और विशेष रूप से पैराग्राफ 15 में इसी तरह के निर्देश जारी किए गए थे जो **जुगल किशोर** के मामले में जारी किए गए हैं और दिनांक 20 फरवरी 2023 के आदेश द्वारा उक्त निर्देशों को इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 11675-11676/2022 (**राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम राजस्थान राज्य और अन्य**) में रद्द कर दिया गया है। 16. इसलिए, निष्कर्ष के तौर पर, हम मानते हैं कि **जुगल किशोर** के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में जारी निर्देशों को बाध्यकारी निर्देश नहीं कहा जा सकता है। अधिकाधिक उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के रूप में माना जाएगा। न्यायिक अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय के पैराग्राफ 9 और 10 में जो कहा गया है उसका गैर-अनुपालन अनुशासनहीनता या अवमानना का कार्य नहीं माना जा सकता है।¹⁷

हमने ऊपर जिन आदेशों का उल्लेख किया है, उक्त आदेश को पारित करके अपीलकर्ता के साथ अन्याय किया गया है। इस निर्णय को समाप्त करने से पहले, हम **सोनू अग्निहोत्री** के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दे सकते हैं। पैराग्राफ संख्या 15 और 16 में इस न्यायालय ने प्रतिपादित किया :-

“15. न्यायिक पदानुक्रम में उच्चतर न्यायालयों को अपीलीय या पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र दिया गया है ताकि वे न्यायिक रूप से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटियों को सुधार सकें। उच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 और सीआरपीसी की धारा 482 के तहत न्यायिक रूप से अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने का अधिकार है। हमें

यह कहना आवश्यक है कि किसी भी न्यायालय को "अधीनस्थ न्यायालय" नहीं कहा जा सकता। यहाँ, हम केवल अपीलीय, पुनरीक्षण या पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के संदर्भ में ही "अधीनस्थ" न्यायालयों का उल्लेख करते हैं। ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय त्रुटिपूर्ण आदेशों को रद्द कर सकते हैं और अनावश्यक एवं अनुचित टिप्पणियों को मिटा सकते हैं। ऐसा करते समय उच्च न्यायालय वैध रूप से कारण बताकर विचारण न्यायालय या अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की समालोचना कर सकते हैं। कुछ मामलों में, कठोर भाषा का उपयोग करके की गई त्रुटियों की आलोचना की जा सकती है। हालाँकि, ऐसी टिप्पणियाँ हमेशा आक्षेपित आदेशों में त्रुटियों के संदर्भ में ही होनी चाहिए। ऐसा करते समय न्यायिक अधिकारी के व्यक्तिगत आचरण और योग्यता पर कोई आक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए। त्रुटिपूर्ण आदेशों की समालोचना करने और न्यायिक अधिकारी की आलोचना करने में अंतर है। पहला भाग अनुमत है। आलोचना की दूसरी श्रेणी से बचना ही श्रेयस्कर होगा। इस न्यायालय द्वारा पहले ही पुनः 'के' एक न्यायिक अधिकारी के मामले में, कारण स्पष्ट किए जा चुके हैं। निर्णय के पैराग्राफ 15 में पाँच कारण दिए गए हैं कि न्यायिक अधिकारियों को बिना सुने क्यों दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। जैसा कि निर्णय में कहा गया है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारी की ओर से अनुचित आचरण को देखते हुए ऐसे आचरण की ओर हमेशा प्रशासनिक पक्ष के प्रति मुख्य न्यायाधीश का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। जब भी किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रशासनिक पक्ष से कोई कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है, तो उसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने और समझाने का पूरा अवसर मिलता है। लेकिन अगर किसी फैसले में ऐसी व्यक्तिगत प्रतिकूल टिप्पणियाँ की जाती हैं, तो न्यायिक अधिकारी के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 16.

न्यायाधीश भी इंसान ही हैं। सभी इंसान गलतियाँ करने के लिए प्रवृत्त होते हैं। गलती करना मानवीय स्वभाव है। हमारे देश की लगभग सभी अदालतें अत्यधिक बोझ से दबी हुई हैं। वर्ष 2002 में **अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ (3) बनाम भारत संघ** के मामले में इस न्यायालय ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि पांच वर्षों के भीतर, हमारी विचारण न्यायालय की न्यायिक व्यवस्था में न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को बढ़ाकर 50 प्रति मिलियन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। हालाँकि वर्ष 2024 तक हम 25 प्रति मिलियन के अनुपात तक भी नहीं पहुँच पाए हैं। इस बीच जनसंख्या और मुकदमेबाजी में काफी वृद्धि हुई है। न्यायाधीशों को तनाव में काम करना पड़ता है। जैसा कि पहले कहा गया है हर न्यायाधीश, चाहे वह किसी भी पद और स्थिति का क्यों न हो, गलतियाँ करने की संभावना रखता है। किसी मामले में, कई ठोस फैसले लिखने के बाद, एक न्यायाधीश काम के दबाव के कारण या किसी अन्य कारण से एक फैसले में गलती कर सकता

है। जैसा कि पूर्व में कथित है कि उच्च न्यायालय हमेशा त्रुटि को सुधार सकता है। हालाँकि यदि ऐसा करते समय किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी की जाती है, तो इससे न्यायिक अधिकारी को शर्मिंदगी के अलावा पूर्वाग्रह भी होता है। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम संवैधानिक न्यायालयों में बैठते हैं, तो हमसे भी गलतियाँ होने की संभावना होती है। इसलिए, न्यायाधीशों की व्यक्तिगत आलोचना या निर्णयों में न्यायाधीशों के आचरण पर निष्कर्ष दर्ज करने से बचना चाहिए।”

(जोर दिया गया)18. उच्च न्यायालय को संयम दिखाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ऐसे आदेश पारित कर किसी न्यायिक अधिकारी के करियर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसका कारण यह है कि जब न्यायिक पक्ष से ऐसे आदेश पारित किए जाते हैं तो वह अपना बचाव नहीं कर सकता।19. इसलिए, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

- i. अपीलकर्ता के खिलाफ 5 मई 2023 को जारी किए गए आदेश में की गई सभी प्रतिकूल टिप्पणियाँ/अभिव्यक्तियाँ हटाई जाती हैं। अपीलकर्ता द्वारा न्यायिक निर्देशों की अवज्ञा और अनुशासनहीनता करने के संबंध में लगाए गए आदेश के पैराग्राफ 11 में निहित निष्कर्ष खारिज किए जाते हैं और मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी खारिज किए जाते हैं।
- ii. दिनांक 4 अप्रैल 2023, 25 अप्रैल 2023 के आदेशों में अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई टिप्पणियों और उसके अंतर्गत अपीलकर्ता को जारी किए गए निर्देशों को रद्द किया जाता है। हम स्पष्ट करते हैं कि हमने जो पहले माना है, उसके मद्देनजर, उपरोक्त आदेशों में अपीलकर्ता के विरुद्ध की गई प्रतिकूल टिप्पणियाँ और अभिव्यक्तियाँ प्रशासनिक पक्ष द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का आधार नहीं हो सकती हैं;
- iii. इस निर्णय की एक प्रति राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भेजी जाएगी, जो इसे प्रशासनिक पक्ष से संबंधित न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखेंगे।
- iv. उपरोक्त शर्तों के अधीन यह अपील स्वीकार की जाती है

.....
....न्यायमूर्ति

श्री अभय एस ओका

.....न्यायमूर्ति

श्री ए जी मसीह

-::अनुवादक::-

ध्रुव कुमार तिवारी

DHRUV KUMAR TIWARI

Checked by Sunil Kumar